दिनांक 28.08.2025 को सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एकीकृत खनन प्रबंधन सूचना प्रणाली (IMMIS) के संबंध में NIC की संपूर्ण टीम के साथ समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संलग्न।

सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा NIC की संपूर्ण टीम का औपचारिक स्वागत किया गया। तदोपरान्त NIC द्वारा VLTS, खनन सॉफ्ट एवं खनन रक्षक एप्प के संबंध में PPT प्रस्तुत किया गया।

समीक्षा के क्रम में सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा विभाग में NIC द्वारा किये जा रहे कार्यो के संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये गये :–

1. बेल्ट्रॉन के E-Proc की API प्राप्त कर खनन सॉफ्ट से Integrate किया जाए, ताकि Auction होने के बाद उच्चतम डाकवक्ता की विवरणी E-Proc के माध्यम से खनन सॉफ्ट पर स्वतः प्राप्त होते हुए संबंधित खनन पट्टा का Profile Create हो जाए।
2. खनन पट्टों का Profile Creation के क्रम में LoI, खनन योजना (MP), EC एवं Work order अलग–अलग अपलोड एवं प्रदर्शित होने का प्रावधान हो।
3. खनन सॉफ्ट आई0डी0 में ही VLTS को समावेशित किया जाए, ताकि सभी पोर्टल को "JanParichay Portal" के द्वारा एक्सेस किया जा सके।
4. घाट का Geo-coordinate "परिवेश पोर्टल" से API के द्वारा प्राप्त कर प्रविष्टि किया जाय।
5. बफर रेंज का निर्धारण जिला खनन कार्यालय द्वारा Geo Tagging युक्त अपलोडेड मोबाईल फोटो के आधार पर तय किया जायेगा। इसके लिए जिला के द्वारा सभी धर्मकाँटा का Geo-coordinate NIC को उपलब्ध कराया जायेगा। तद्नुसार संबंधित धर्मकाँटा को Geofence किया जायेगा।
6. Geo-Fencing के बाद संबंधित सूचना SMS एवं E-mail के माध्यम से बंदोबस्तधारी को दी जाए।
7. धर्मकाँटा के Software Installation की प्रक्रिया को सरल बनाया जाय।
8. खनन पट्टे के किस्त की राशि के भुगतान की Tracking की व्यवस्था खनन पोर्टल पर की जाय।
9. GPS Device के Tampering वाले मामले में तुरन्त नियमानुसार दंड अधिरोपित किया जाय। इसके अलावा दण्ड का भुगतान होने के पश्चात् भी छः माह तक चालान निर्गत नहीं होने का प्रावधान करने के लिए प्रस्ताव गठित करे।

P.T.O.

10. खनन पट्टों के Profile Creation के बाद खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा कैपिंग में कितना समय लगाया जाता है, से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। इस समय अवधि को न्यूनतम किया जाय।
11. ऐसे चालान, जिसमें ट्रीप Not Started from source है तो ऐसे चालान को तुरंत Invalid या Disable करने की व्यवस्था की जाय।
12. कितने मामलों में GPS लोकेशन से भिन्न चालान निर्गत हुए हैं, उसकी सूची उपलब्ध कराई जाए। ऐसे मामले में लीजधारी पर कार्रवाई हेतु अविलम्ब विभाग को सूचित किया जाय।
13. ISTP से संबंधित प्रक्रिया को Ready Mode में रखा जाय, ताकि 2–3 दिनों की सूचना पर इसे लागू किया जा सके।
14. NIC द्वारा संचालित सभी वेबसाईट की Security Audit कराकर सर्टिफिकेट विभाग को उपलब्ध कराई जाए। Technical Audit का भी प्रस्ताव गठित करें।
15. बालूघाट/अनुज्ञप्तिधारी के चालान बंद/खोलने के संबंध में NIC द्वारा संधारित की जाने वाली पंजी को नियमित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाय एवं इस संबंध में SoP तैयार करें।
16. SDC में Technical Infrastructure बढ़ाने हेतु NIC के अनुरोध के आलोक में उनके द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। इसके आधार पर विभाग द्वारा SDC से अनुरोध किया जायेगा।
17. उपरोक्त बिन्दुओं में कोई वैधानिक/तकनीकी कठिनाई होने पर अवगत कराया जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
सचिव

ज्ञापांक 5051 एम0, पटना, दिनांक 09/09/25

प्रतिलिपिः–राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/25
निदेशक, खान

ज्ञापांक 5051 एम0, पटना, दिनांक 09/09/25

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/सभी तकनीकी पदाधिकारी (मु0)/आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/9/25
निदेशक, खान

9.9.25